नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/11 से 3/13

भाग–एक

1 प्रारम्भिकः–

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1–376/81–फिन(एल0ए0) –खण्ड–IV दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर, जिला मण्डी के अवधि 4/2011 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया। अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 के दौरान नगर पंचायत जोगेन्द्र नगर के अध्यक्ष तथा सचिव निम्नानुसार थेः–

अध्यक्षः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमती प्रतिमा	1.4.11 से 31.3.2013

सचिवः–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री गोविन्द ठाकुर तहसीलदार	1.4.11 से 3.9.12
2	श्री शमशेर सिंह सिंह तहसीलदार	4.9.12 से 28.2.13
3	श्री शिव सिंह तहसीलदार	1.3.13 से 31.3.13

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

नगर पंचायत जोगेन्द्र नगर के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि ₹ लाख
1	दिनाँक 31.3.2013 को अनुदान की अनुपयुक्त राशि	5 (ग)	47.44
2	गृहकर की वसूली न करना	6 (ख)	48.26
3	दुकानों की वसूली शेष	6 (ग)	2.44
4	मोबाईल कम्पनियों से वसूली शेष	6 (घ)	1.41
5	कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अनियमित अधिक भुगतान	7 (ख) (i)	0.21
6	कर्मचारियों से मकान किराया का अनियमित भुगतान	7 (ख) (ii)	0.36
7	सीविल सप्लाई निगम से सीमेन्ट की कम प्राप्ति	8 (क)	0.27

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण के **परिशिष्ट "अ"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः पंचायत इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही सुनिश्चित करें व अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर के अवधि 4/11 से 3/2013 के लेखाओं का अंकेक्षण श्री चन्द्रेश हाण्डा, सहायक नियन्त्रक लेखा परीक्षा द्वारा दिनांक 4.2.14 से 22.3.14 के दौरान नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर में किया गया। विस्तृत जॉच हेतु आय के लिये माह 6/2011 व 4/2012 तथा व्यय के लिये माह 1/12 व 8/12 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैरा ग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान इस अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं व अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर किया गया

है। नगर पंचायत द्वारा प्रदान की गई किसी गलत सूचना एवं सूचना प्रदान न करने के लिये स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उत्तरदायित्व नहीं होगा क्योंकि संस्था का अंकेक्षण कार्य चयनित मासों तक ही सीमित हैं

3 लेखा परीक्षा शुल्कः–

नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर के लेखाओं अवधि 4/11 से 3/13 का अंकेक्षण शुल्क ₹16200/–आंका गया। सचिव नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर को सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या फिन (एल0ए0)एस0एम0/499 दिनांक 19.3.14 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को भेजने का अनुरोध किया गया। नगर पंचातय द्वारा यह राशि ड्राफ्ट संख्याः 1353251 दिनाँक 20.3.2014 द्वारा भेज दी गई है।

4 वित्तीय स्थितिः–

(क) सचिव नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर की अवधि 4/11 से 3/2013 की अपने स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का परिशिष्ट "क" "ii" में संलग्न है।

(ख) रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार न करनाः–

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया है और न ही प्रत्येक मास के अन्त में बैंक से समाधान किया जाता है यह गम्भीर अनियमितता है उचित प्रकार से रोकड़ बही का रख रखाव न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व रोकड़ बही का रख रखाव नियमानुसार किया जाए व बैंक के साथ प्रतिमाह मिलान करना सुनिश्चित किया जाए। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति बैंक के खातों में जमा राशि पर आधारित है व रोकड़ बहियों का मिलान प्रतिमाह न करने के कारण बैंक के निम्न खातों में राशियाँ रोकड़ बही के अनुसार अधिक जमा है जिसका विवरण इस प्रकार हैं। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए यह प्रकरण नगर पंचायत उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

बैंक खाता सं0	रोकड़ बही में 31.3.13 को शेष	बैंक खाते में 31.3.13 को शेष	अन्तर
3204	505077	764959	259882
84018	2283909	2991637	707728

(ii) परिशिष्ट "क" "i" "ii" में सन्दर्भित विभिन्न खातों के अतिरिक्त नगर पंचायत द्वारा निम्न बैंक खाते भी खोले गये है तथा इनमें प्रत्येक के आगे दर्शाई गई राशियाँ 31.3.2013 को शेष थी लेकिन इन खातों में किये गये लेन देन का रख रखाव बैंक पास बुक के आधार पर किया गया है परन्तु इन खातों के लिए कोई रोकड़ बही का अनुरक्षण नहीं किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए व रोकड़ बही का नियमानुसार रख रखाव करना सुनिश्चित किया जाए।

जोगेन्द्रनगर स्थित बैंक	खाता सं0	31.3.13 को शेष (₹)	प्राप्ति स्त्रोत
पी0एन0बी0	966631	696992	पैन्शन व ग्रेच्युटी
पी0एन0बी0	3022607	463603	नियोक्ता हिस्सा

(ग) निवेशः—

नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में ₹50 लाख दिनाँक 13.7.10 से निवेशित है जो बार—2 पुनः ब्याज सहित पुनः निवेशित किये गये। इस निवेश की परिपक्वता राशि दिनांक 30.9.13 को ₹6230309/— है जिसका विवरण परिशिष्ट "ख" में दिया गया है। यह राशि रोकड़ बही में नहीं दर्शाई गई यह अनियमित है और न ही अन्तशेष में दर्शाई गई है। इस बारे गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4.1 मे ंभी आपत्ति उठाई गई थी लेकिन नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। अतः निवेशित की गई राशि का इन्द्राज रोकड़ बही में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5 अनुदानः—

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार अंकेक्षण अवधि मे ंप्राप्त व व्यय की गई अनुदानों की विवरणी परिशिष्ट "च" पर दर्शाई गई है। जिनमें निमनलिखित अनियमितताऐं पाई गईः—

(क) अनुदान रजिस्टरः—

नगर पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया गया है। इस सन्दर्भ में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5.4 में आपत्ति उठाई गई थी लेकिन पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई अमल नहीं किया जा रहा है यह चिन्ताजनक है। अतः अनुदान रजिस्टर का रख रखाव न करने बारे में औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा विभिन्न अनुदानों राशियों की प्राप्ति व उपयोग के बिल संख्या इत्यादि का माहवार पूर्ण विवरण रखा जाए तदोपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग को जारी किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) आय—व्यय के वर्गीकृत सार रजिस्टर का रख रखाव न करनाः—

नगर पंचायत के आय व व्यय का लेखा जोखा वर्गीकृत सार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया है जिसके अभाव में शीर्ष अनुसार आय—व्यय के सही आंकड़ों की पुष्टि करना सम्भव नहीं है। अतः वर्गीकृत सार रजिस्टर अब तैयार किया जाये जिससे अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र में दर्शाई गये व्यय की सत्यता की पुष्टि की जा सके।

(ग) 31.3.2013 को अनुदानों की अनुपयुक्त राशि ₹47.44 लाखः—

पैरा 4 (क) के परिशिष्ट क (ii) से स्पष्ट है कि दिनांक 31.3.13 को कुल राशि ₹5509505 (—) ₹764959 (स्वयं स्त्रोत आय) ₹4744546/— की अनुदान की राशि जो विभिन्न विकास कार्यों के लिये व्यय करने हेतु प्राप्त की गई थी दिनाँक 31.3.2013 तक अनुपयुक्त थी। अनुपयुक्त राशियों का उपयोग नियमानुसार (समयवध उसी उद्देंश्य हेतु किया जाए जिसके लिए इन्हें स्वीकृति किया गया था अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

6 आयः–

(क) जी–8 रसीदों का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि जी–8 रसीद बुकों के रजिस्टर का उचित ढ़ंग से अनुरक्षण नहीं किया गया। रसीदों के उपयोग का क्रमवार अभिलेख नहीं रखा गया है। रसीद बुकों का उपयोग करने के बाद रसीद बुकों पर यह प्रमाण पत्र दर्ज नहीं किया गया कि इस रसीद द्वारा वसूल की गई राशि का लेखांकन करके नगर पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है जबकि निदेशक, शहरी विकास पत्रांक 12812–12861 दिनाँक 15.11.2006 द्वारा उपरोक्त कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट निर्देश दिये गये थे। इसके अतिरिक्त रसीद बुकों के अवलोकन पर प्रायः यह पाया गया कि रसीदों पर राशि की वसूली की तिथि अंकित नहीं की गई थी परिणामस्वरूप अंकेक्षण में यह सुनिश्चित नहीं हो सका कि प्राप्त राशियाँ समय पर जमा करवा दी गई अथवा नहीं। यह अत्यन्त गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में राशि के अस्थाई दुरूपयोग की सम्भावना से नकारा नहीं जा सकता जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व स्टॉक रजिस्टर में रसीदों का क्रमवार ब्यौरा दर्ज करके कमवार ही उपयोग करने हेतु जारी करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) गृहकर ₹48.26 लाख की वसूली न करनाः–

अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31.3.2013 को ₹4825841/– गृह के रूप मे वसूली योग्य शेष थी जिसका विवरण परिशिष्ट "ग" में दिया गया है। इस राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाए गये। अतः नगर पंचायत द्वारा इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि गृह कर का निर्धारण रैन्टल वैल्यू पर 8**%** की दर से किया गया जबकि निदेशक, शहरी विकास के पत्र संख्या UD(H)(10) 7/98-II दिनाँक 17.11.2003 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार इसका निर्धारण 12½**%** की दर से किया जाना अपेक्षित था। परिणामस्वरूप नगर पंचायत को गृह करके रूप में (वित्तीय हानि निश्चित है)अतः उक्त पत्र की पालना न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए। यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया जाता है।

(ग) दुकानों के किराये की दिनांक 31.3.13 तक बकाया राशि वसूली हेतु ₹2.44 लाख शेषः—

अंकेक्षण को उपपलब्ध करवाई सूचना अनुसार दिनाँक 31.3.2013 को ₹243900/— दुकानों के किराये के रूप मे ंवसूली योग्य शेष थे जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" में दिया गया है। अतः सचिव नगर पंचायत इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कदम उठाए तथा की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) मोबाईल कम्पनियों से टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क ₹1.41 लाख की वसूली शेषः—

अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों द्वारा मोबाईल संचार टावर स्थापित किये गये थे दिनाँक 31.3.2013 को विभिन्न मोबाईल कम्पनियों से ₹140750/— वसूली हेतु शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट "ण"** में दर्शित है। बकाया राशि की वसूली यथाशीध्र सुनिश्चित की जाये। अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाए।

7 स्थापनाः—

(क) कर्मचारी की जन्म तिथि सेवा पुस्तिका में अनियमित रूप से बदलने बारेः—

नगर पंचायत के कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओ ंकी जाँच में पाया गया कि निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश के आदेश संख्याः ULB-H(A) (1)-49/94 दिनाँक 17.2.1998 द्वारा 2 सफाई कर्मचारियों का नियमितीकरण दिनाँक 1.1.1998 से हुआ जिसमें एक श्रीमती गुरमीत की जन्म तिथि 13.1.1949 दर्शित है। यह कर्मचारी वर्ष 1983 से दैनिक भोगी थी व इनकी जन्म तिथि का वर्णन अभिलेख में 13.1.1949 था। सचिव/कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी निदेशक शहरी विकास से पत्राचार में इनकी जन्म तिथि 13.1.1949 दर्शाई है। इन्होंने दैनिक भोगी कार्यकाल में अपनी तिथि 13.1.1949 में किसी गलती की आपत्ति हेतु नगर पंचायत से कभी पत्राचार नहीं किया गया है लेकिन उपरोक्त कर्मचारी नियमितिकरण के समय प्रस्तुत शपथ पत्र व सम्बन्धित सरपंच द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो निर्धारित प्रपत्र पर न होकर एक साधारण कागज पर टाईप है, के आधार पर जन्म तिथि 13.1.1958 दर्शाई गई है कार्यालय द्वारा सेवापंजिका की जन्म तिथि 13.1.1949 का कटा कर 13.1.1958 दर्शाई गई है।

यह संदिग्ध प्रतीत होता है जबकि पंचायत सरपंच नम्बरदार जन्म प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत नहीं होता। जन्म प्रमाण पत्र सचिव, पंचायत/नगर पंचायत या कार्यकारी अधिकारी निर्धारित प्रपत्र पर जारी करते है।

उपरोक्त सन्दर्भित आदेशानुसार कर्मचारी 1.1.1998 से नियमित है व जन्म तिथि 13.1.1949 के आधार पर 58 वर्ष की आयु उपरान्त इन्हें 31.1.2007 को सेवानिवृत किया जाना अपेक्षित था। लेकिन श्रीमती गुरमीत सफाई कर्मचारी अभी तक सेवा प्रदान कर रही है नियमित तौर से अभी तक वेतन का भुगतान भी किया जा रहा है। अतः यह प्रकरण हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग के उच्च अधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

(ख) (i) कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता ₹0.21 लाख का अनियमित भुगतानः–

प्रधान सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन (सी) B (7) 1/2012 दिनाँक 28.2.12 द्वारा मकान किराया भत्ता की संशोधित दरें दिनाँक 1.3.2012 से लागू की गई। ये स्लैब दरें मूल वेतन के आधार पर लागू है लेकिन नगर पंचायत द्वारा ये दरें मूल वेतन जमा ग्रेड वेतन कुल वेतन पर स्लैब के आधार पर कर्मचारियों को दिनाँक 1.3.12 से प्रदान की गई जिस कारण निम्न कर्मचारियों को मकान किराये भत्ते का दिनाँक 1.3.12 से 28.2.2014 कुल 24 मासों तक ₹20900/– का अनियमित/अधिक भुगतान किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र0सं0	नाम व पदनाम (श्री/श्रीमती)	वेतन (मूल) (₹)	ग्रेड वेतन (₹)	कुल वेतन (₹)	प्रतिमाह मकान किराया भत्ता (आहरण ₹)	प्रतिमाह मकान किराया भत्ता (देय) ₹	अन्तर प्रति माह (₹)	कुल माह	अधिक भुगतान ()
1	सरस्वती लिपिक (सेवानिवृत 30.9.12)	12380	1900	14280	450	400	50	7	350

2	जोगेन्द्र, चपड़ासी	9630	1650	11280	400	350	50	24	1200
3	मगंल, चौकीदार	7510	1650	9160	350	300	50	24	1200
4	बालक राम, बेलदार	6680	1650	8330	350	300	50	24	1200
5	कमला देवी, बेलदार	6680	1650	8330	350	300	50	24	1200
6	गुरमीत कौर, सफाई कर्मचारी	7980	1650	9630	350	300	50	24	1200
7	मिंडो देवी	7980	1650	9630	350	300	50	24	1200
8	मनोज कुमार सुपरीवाईजर	7160	1650	8810	350	300	50	24	1200
9	जगदीश, सफाई कर्म0	5560	1650	7210	300	250	50	24	1200
10	राम सिंह सफाई कर्म0	5140	1650	6790	300	250	50	24	1200
11	मनोहर लाल, ड्राईवर	7290	2000	9290	350	300	50	24	1200
12	सरदार सिंह, सफाई कम0	5140	1650	6790	300	250	50	24	1200
13	हितेश शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता (स्थानातरित 31.7.13)	12730	4200	16930	550	400	150	17	2550
14	खेम सिंह, बेलदार	5350	1650	7000	300	250	50	24	1200
15	वीना, बेलदार	5350	1650	7000	300	250	50	24	1200
16	पार्वती बेलदार	5350	1650	7000	300	250	50	24	1200
17	नानकु बेलदार	5140	1650	6790	300	250	50	24	1200
								कुल	20900

अतः सरकार के दिशा निर्देशों की पालना करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कर्मचारियों को ₹20900/– के अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए और भविष्य में मकान किराया भत्तो का भुगतान नियमानुसार किया जाए।

(ii) कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता ₹36050/– का संदिग्ध भुगतान

पति व पत्नी दोनों की एक ही स्थान पर तैनाती पर मकान किराया भत्ता किसी एक कर्मचारी को ही नियमानुसार देय है। अभिलेख में पति/पत्नी द्वारा यह घोषणा पत्र नहीं दिया है कि उनके मकान किराया भत्ता नहीं लिया गया है। इससे प्रतीत होता है कि निम्न कर्मचारियों को ₹36050 का अनियमित भुगतान किया गया है। इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये अन्यथा अनियमित रूप से किये गये भुगतान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र0सं0	नगर पंचायत कर्मचारी का नाम	पति/पत्नी का नाम व तैनाती	कर्मचारी द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता	अधिक आहरण राशि
1	श्री नारायण सिंह सुपरवाईजर	श्रीमती कृष्णा वरिष्ठ लिपिक पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड, शानन जोगेन्द्रनगर	माह 4/07 से 2/12 माह 3/12 से 2/14	59@175=10325 22@ 350=7700 कुल =18025
2	श्रीमती रजनी सफाई कर्मचारी	श्री जग्गा राम सीविल अस्पताल जोगेन्द्रनगर	माह 4/07 से 2/12 माह 3/12 से 2/14	59 @ 175=10325 22@ 350=7700 कुल =18025

8 निर्माण कार्यः–

(क) 120 बैग सीमेन्ट की कम प्राप्तिः–

हिमाचल प्रदेश सीविल सप्लाई निगम को निम्न विवरणानुसार 1200 बैगज सीमेन्ट की खरीद हेतु ₹268794 अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था लेकिन निगम द्वारा केवल 1080 सीमेन्ट की आपूर्ति की गई अर्थात 120 बैग मूल्य ₹26880/– सीमेन्ट की कम आपूर्ति की गई इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व कम प्राप्त किये गये सीमेन्ट बैग की प्राप्ति अब सुनिश्चित की जाए।

वा0सं0	भेजी गई राशि (₹)	जितने बैग सीमेन्ट हेतु राशि भेजी	वास्तव में प्राप्त सीमेन्ट	कम प्राप्ति
3 माह 7/11	89598	400 बैग	360 बैग	40 बैग
3 माह 10/11	89598	400 बैग	360 बैग	40 बैग
7 माह 12/11	89598	400 बैग	360 बैग	40 बैग
जोड़	**268794**	**1200**	**1080**	**120 बैग**

(ख) कार्य का नामः– P/F Steel grating over drain from Kaul Singh House Ward No. 4

संविदाकार का नामः– M/S ESS ESS Enterprises

कार्य आंबटन संख्याः– 640 दिनाँक 7.7.12

प्रविष्टि दिनाँकः– 27.10.12

कार्य लागतः– ₹93059/–

बिलः– प्रथम व अन्तिम

उपरोक्त कार्य हेतु मद "Providing Steel reinforecement built up section" की पैमाईस माप पुस्तिका संख्या 37 पृष्ठ 65 में निम्न प्रकार से की गई।

एंगल 40x40x5=1998.53 RMT

Wastage 5% 9.92 RMT

कुल 208.45 RMT

Through rate tender में मद की दरों में wastage सम्मिलित होती है। अतः संविदाकार को 9.92 RMTx 3Kg (factor)=29.76 Kg का दर ₹84 प्रतिकिलो कुल ₹2499.84 (₹2500) का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

माप पुस्तिका में पारित बिल की संख्या दर्शाना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कार्य का नामः– C/O Protection wall to road near Rajinder Mandyal House Ward No. I

कार्य आंबटन संख्या 793 दिनाँक 21.9.12

सविदाकारः– श्री धर्मवीर

कार्य लागत ₹134024/-

प्रविष्टिः- 25.10.12

बिल :-प्रथम व अन्तिम

उपरोक्त कार्य हेतु मद "R.R.M. 1:6" की गणना निम्न प्रकार से की गई।

माप पुस्तिका 37 पृष्ठ 59 8(0.90+40)/2x2.50=14m3

वास्तविक गणना=13m3

अन्तर= 1m3

अतः गलत गणना के फलस्वरूप संविदाकार को मद का 1cum का ₹2795 की दर से कुल ₹2795/- का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली सुनिश्चित की जाए।

(घ) विभागीय कार्यः-

दिनाँक 23.1.12 को सीमेन्ट रजिस्टर पृष्ठ 24 से विभागीय कार्य हेतु 38 बैग सीमेन्ट जारी किये गये। यह सीमेन्ट कार्य "of road from Puri House towards Bharti House." हेतु एम0ए0एस0 में गलती से 78 बैग दर्ज किया गया व उपरोक्त कार्य हेतु माप पुस्तिका 39 पृष्ठ 70 द्वारा उपयोग दर्शाया गया। कार्य हेतु 78 बैग सीमेन्ट के हिसाब से अन्य निर्माण सामग्रियों का उपयोग व व्यय निम्न प्रकार से किया

मस्ट्रोल	₹5590
रेत 5.20 cum	5616
बजरी 10.40 cum	12740
(सालिंग) पत्थर 6.90 cum	5451
सीमेन्ट 78 बैग	17160
कुल व्यय	**₹46557**

अतः उपरोक्त कार्य हेतु 38 बैग सीमेन्ट वास्तविक रूप से जारी हुआ जबकि अन्य सामग्रियाँ व व्यय 78 बैग सीमेन्ट का दर्शाकर मात्राओ को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया प्रतीत होता है या कार्य को below specification किया जाने कि सम्भावना से भी नकारा नहीं जा

सकता यह प्रकरण नगर पंचायत के उच्चाधिकारियों के विशेष ध्यान में आवश्यक जाँच के आगामी कार्रवाई हेतु लाया जाता है।

9. नगर पंचायत सदस्यों को भत्ते का अधिक भुगतानः–

अंकेक्षण अवधि 4/11 से 3/13 के अन्तर्गत नगर पंचायत के 10 सदस्यों को 1.4.11 से 31.3.12 तक ₹600/– व 1.4.12 से 31.3.13 तक ₹750/– प्रतिमाह प्रति सदस्यों भत्तें का भुगतान किया गया। प्रधान सचिव, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–डी0(1)3/96 लूज दिनांक 11.9.12 के अन्तर्गत नगर पंचायत के सदस्यों को ₹187.50 प्रति सीटिंग (अधिकतम चार सिटिंग प्रतिमाह) अधिकतम ₹750/– प्रतिमाह भत्ता देय था इसी प्रकार माह 3/12 तक ₹150/– प्रति सीटिंग (अधिकतम चार सीटिंग प्रतिमाह) अधिकतम ₹600 प्रतिमाह भत्ता देय था। नगर पंचायत द्वारा प्रतिमाह अधिकतम राशियों का भुगतान सदस्यों के किया गया जबकि यह माह में सीटिंग के आधार पर ₹187.50 प्रति सीटिंग अवधि 1.4.12 से 31.3.13 व ₹150/– प्रति सीटिंग अवधि 1.4.11 से 31.3.12 तक देय था। प्रति माह सीटिंग का अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में सदस्यों के भत्ते के रूप में किये जा रहे भुगतान कि सत्यता पुष्टि नहीं जा सकी। वाँन्छित अभिलेख अब तैयार करके आवश्यक सत्यापन हेतु आगामी लेखा परीक्षा मे ंप्रस्तुत किया जाए।

10 सी0पी0एफ0 अग्रिम राशियों की प्रविष्टि लैजरों में न करनाः–

अंकेक्षण अवधि में पाया गया कि दिनाँक 10.4.12 से 31.5.12 के दौरान निम्न कर्मचारियों को सी0पी0एफ0 अग्रिम राशियों का भुगतान किया गया।

क्र0सं0	कर्मचारी का नाम/पद	राशि (₹)
1	श्रीमती रजनी देवी, सफाई कर्मचारी	27330
2	श्रीमती सरस्वती, लिपिक	60000
3	श्रीमती गुरमीत सफाई कर्मचारी	28890
4	श्रीमती मिण्डो सफाई कर्मचारी	28890
5	श्री मनजीत, चौकीदार	26670

उपरोक्त अग्रिम/आहरणों को सम्बन्धित सी0पी0एफ0 लैजर मे ंप्रविष्टि नहीं किया गया और न ही लैजर के शेष सम्बन्धित कर्मचारियों की सी0पी0एफ0 पास बुक से मिलान किया गया। अतः नगर पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि वर्ष के अन्त में प्रत्येक सी0पी0एफ0 खाता धारक के शेषों का मिलान सम्बन्धित कर्मचारी की पास बुक से किया जाये ताकि लैजर व व्यक्तिगत सी0पी0एफ0 पास बुक में किसी भी अनियमितता से बचा जा सके।

11 **लधु आपत्ति विवरणी:–** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 **निष्कर्ष:–** लेखों के उचित अनुरक्षण में और सुधार की आवश्यकता है एवं वर्षों से लम्बित पड़े अनिर्णीत पैरों के निस्तारण हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या:V(89)/88–2012फिन(एल0ए0)खण्ड–1–3829–3831 दिनांक 05.07.2014, शिमला – 171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1. निदेशक, शहरी विकास, हिमाचल प्रदेश शिमला–171001
2. सचिव, नगर पंचायत जोगेन्द्रनगर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को प्रतिवेदन जारी होने से एक मास के भीतर प्रेषित करें।
3. वरिष्ठ उप–महालेखाकार ले0 व ह0 हिमाचल प्रदेश शिमला–171003

हस्ता/–
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

परिशिष्ट–"अ"   पैरा संख्या 1 (ग) में सन्दर्भित

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/85 तक

1	पैरा–4 (4)	अनिर्णीत
2	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–7 (6)	अनिर्णीत
5	पैरा–7 (7)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (8)	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/85 से 3/87

1	पैरा–8 (ए) (1)	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ए) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (बी) (1) (2)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (ई)	अनिर्णीत
6	पैरा–8 (एफ)	अनिर्णीत
7	पैरा–9 (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (9)	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/90

1	पैरा–10	अनिर्णीत
2	पैरा–12 (ख) (2)	अनिर्णीत
3	पैरा–12 (ख) (3)	अनिर्णीत
4	पैरा–12 (ख) (4)	अनिर्णीत
5	पैरा–12 (ख) (5)	अनिर्णीत
6	पैरा–12 (ख) (6)	अनिर्णीत
7	पैरा–12 (ख) (7)	अनिर्णीत
8	पैरा–12 (ख) (8)	अनिर्णीत
9	पैरा–12 (ख) (9)	अनिर्णीत

10	पैरा—12 (ख) (10)	अनिर्णीत
11	पैरा—12 (ख) (11)	अनिर्णीत
12	पैरा—12 (ख) (12)	अनिर्णीत
13	पैरा—12 (ख) (13)	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 3/92

1	पैरा—8	अनिर्णीत
2	पैरा—9 (2)	अनिर्णीत
3	पैरा—9 (5)	अनिर्णीत
4	पैरा—9 (6) (7) (8)	अनिर्णीत
5	पैरा—10,11,12,13 (1) (2) (3)	अनिर्णीत
6	पैरा—16 (4) (5)	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा—5 (2) (क) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा—6 (ख) (4) (5) (ग) (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा—8 (क)	अनिर्णीत
4	पैरा—13	अनिर्णीत
5	पैरा—14	अनिर्णीत
6	पैरा—5	अनिर्णीत
7	पैरा—18 (क) (ख) (ग) (घ) (ङ) (च) (छ) (ज) (झ) (ञ) (ट) (ठ) (ड) (ढ) (ण) (त) (थ)	अनिर्णीत
8	पैरा—19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/95 से 3/98

1	पैरा—7 (ख) (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा—9	अनिर्णीत
3	पैरा—13 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा—13 (7, 8, 9, 10, 11, 31)	अनिर्णीत
5	पैरा—14 (2, 3, 1, 2, 3, 7)	अनिर्णीत
6	पैरा—15 (1, 12, 16)	अनिर्णीत
7	पैरा—17 (i) (1, 2, 3)	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/98 से 3/05

1	पैरा—11	अनिर्णीत
2	पैरा—12	अनिर्णीत
3	पैरा—14 (3)	अनिर्णीत
4	पैरा—14 (v)(vi)	अनिर्णीत
5	पैरा—14 (vii)	अनिर्णीत
6	पैरा—14 (viii)(ix)(x)	अनिर्णीत
7	पैरा—14 (xii)(xiii)(xiv)(xv)	अनिर्णीत
8	पैरा—14 (xvi)	अनिर्णीत
9	पैरा—14 (xvii)(xviii)(xix)	अनिर्णीत
10	पैरा—14 (xxiii)(xxiv)	अनिर्णीत
11	पैरा—15 (16)	अनिर्णीत
12	पैरा—17 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/05 से 3/07

1	पैरा—4 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा—4 (बी)	अनिर्णीत
3	पैरा—4 (सी)	अनिर्णीत
4	पैरा—5 (i)	अनिर्णीत

5	पैरा–6 (i)(ii)(iii)	अनिर्णीत
6	पैरा–7 (i)	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 3/11

1	पैरा–3	निर्णीत	
2	पैरा–4	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
3	पैरा–4.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
4	पैरा–5.1	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
5	पैरा–5.2	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
6	पैरा–5.3	अनिर्णीत	
7	पैरा–5.4	अनिर्णीत	
8	पैरा–6	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
9	पैरा–7	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
10	पैरा–8	निर्णीत	(नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित की गई है)
11	पैरा–9	अनिर्णीत	
12	पैरा–10	अनिर्णीत	
13	पैरा–11	अनिर्णीत	
14	पैरा–12	निर्णीत	
15	पैरा–13	अनिर्णीत	
16	पैरा–14	अनिर्णीत	
17	पैरा–15	अनिर्णीत	

18	पैरा–16	निर्णीत	(₹2417 जी–8 संख्या 136/100 दिनाँक 6.9.12 द्वारा जमा किये गये)
19	पैरा–17	निर्णीत	(बकाया शून्य)
20	पैरा–18	अनिर्णीत	
21	पैरा–19	अनिर्णीत	
22	पैरा–20	अनिर्णीत	
23	पैरा–21	अनिर्णीत	